

न्यायालय:-अमनदीपसिंह छाबडा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर,
जिला बालाघाट(म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक 570 / 10

संस्थित दिनांक -13 / 07 / 10

म0प्र0 राज्य द्वारा, थाना मलाजखण्ड
 जिला बालाघाट म0प्र0

..... अभियोगी

// विरुद्ध //

श्यामकुमार वल्द मेहतु
 उम्र 26 वर्ष निवासी भीमजोरी थाना
 मलाजखण्ड जिला बालाघाट म.प्र.

..... आरोपी

::निर्णय::

[दिनांक 22 / 02 / 2017 को घोषित]

1. आरोपी के विरुद्ध धारा-304(ए) तथा 427 भा.द.वि. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 09/06/10 को समय 22:00 बजे स्थान एच.सी.एल. चौराहा मलाजखण्ड आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड के अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक सी.जी.04/बी-8315 को लापरवाही एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर रोमप्रकाश पटले को ठोस मारकर उसकी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है तथा लखनलाल की मोटरसाईकिल क्रमांक सी.जी.04/जेड.के.-2269 को ठोस मारकर रिष्टी कर पच्चीस हजार रुपये का नुकसान कारित किया।

2. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी लखनलाल द्वारा द टना दिनांक को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि वह रात्रि 10:00 बजे एच.सी.एल. चौराहा मलाजखण्ड में दीपक पान टेले के पास अपनी मोटरसाईकिल क्रमांक सी.जी.04/जेड.के.-2269 को रोड़ किनारे खड़ी कर पान खा रहा था और उसी समय पुलिसवाला रोमप्रकाश पटले अपनी पेशन प्लस हीरो होण्डा मोटरसाईकिल से बंजारीटोला तरफ से आकर दीपक पान

ढेले के सामने मोटरसाईकिल खड़ी कर उतर रहा था तभी बंजारीटोला तरफ से मार्शल गाड़ी क्रमांक सी.जी.04/बी-8315 के चालक श्याम कुमार मरावी ने वाहन को तेजगति लापरवाही पूर्वक चलाकर रोमप्रकाश पटले की मोटरसाईकिल को ठोस मार दिया जिससे वह जमीन पर गिर गया। उसे काफी चोटें आयी थीं। दोनों की मोटरसाईकिल क्षतिग्रस्त हो गयी। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। घटनास्थल से आरक्षक रोमप्रकाश पटले को तत्काल एम.सी.पी. अस्पताल मलाजखण्ड में ईलाज हेतु भर्ती कराया गया जो दिनांक 10.07.10 को ईलाज के दौरान खत्म हो गया। अस्पताल मेमो प्राप्त होने पर मर्ग कायम कर मौके पर जाकर मृतक रोमप्रकाश का पंचनामा कार्यवाही कर पोस्ट मार्टम कराया गया। दौरान विवेचना घटनास्थल का निरीक्षण कर, घटनास्थल से वाहन जप्त कर नुकसानी पंचनामा तैयार किया गया एवं प्रार्थी तथा गवाहों के कथन लेख कर मार्शल गाड़ी क्रमांक सी.जी. 04/बी-8315 के चालक से वाहन जप्त कर उसे गिरफ्तार किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त ने निर्णय के चरण एक में वर्णित आरोपों को अस्वीकार कर अपने परीक्षण अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं में यह प्रतिरक्षा ली है, कि वह निर्दोष है तथा उसे झूठा फंसाया गया है। कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की है।

4. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

(1) क्या अभियुक्त ने दिनांक 09/06/10 को समय 22:00 बजे स्थान एच.सी.एल. चौराहा मलाजखण्ड आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड के अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक सी.जी.04/बी-8315 को लापरवाही एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर रोमप्रकाश पटले को ठोस मारकर उसकी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता है ?

(2) क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर लखनलाल की मोटरसाईकिल क्रमांक सी.जी.04/जेड.के.-2269 को ठोस मारकर रिष्टी कर पच्चीस हजार रुपये का नुकसान कारित किया ?

::सकारण निष्कर्ष::

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02

साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने व सुविधा हेतु दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

5. परिवादी लखनलाल बिसेन (अ0सा0-01) का कथन है कि घटना मई सन 2010 की है वह दीपक सहारे के पान ढेले में था। अपनी ड्यूटी से मोटरसाईकिल से आकर पान खाने के लिए दीपक की दुकान पर रुका और

मोटरसाईकिल को बिजली के पोल किनारे खड़ी कर दिया था। उस समय रात नौ-सवा नौ बजे थे और पुलिस वाले रोमप्रकाश पटले बंजारीटोला तरफ से अपनी मोटरसाईकिल से आ रहे थे जो बिजली के पोल से टकरा गये। उसी समय पीछे से मार्शल गाडी आ रही थी, जो उसकी मोटरसाईकिल से टकराकर बिजली के पोल से भी टकरा गयी थी। मार्शल चालक पटले जी को बचाने के कारण से बिजली के पोल से टकरा गया था। घटना में उसकी मोटरसाईकिल दो टुकड़ों में बट गयी, जिसके कारण उसे लगभग बीस से चौबीस हजार रुपये का नुकसान हुआ था। रोमप्रकाश को गर्दन एवं घुटने में चोट लगी थी। उसको अस्पताल ले गये थे तब वह बातचीत कर रहा था। बाद में उसे पता लगा कि घटना के कारण दूसरे दिन उनकी मृत्यु हो गयी। दुर्घटना के बाद मार्शल वाहन चालक वाहन छोड़कर भाग गया। वह उसे पहचान नहीं पाया था। मार्शल चालक वाहन को धीरे चला रहा था।

6. लखनलाल बिसेन (अ0सा0-01) का कथन है कि उसने घटना की रिपोर्ट प्र.पी.01 थाना मलाजखण्ड में की थी तथा घटनास्थल पुलिस को दिखा दिया था। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी02 तैयार किया था। पुलिस ने उसके समक्ष मृतक रोमप्रकाश की मृत्यु के संबंध में जांच कर पंचायतनामा प्र.पी.03 तैयार किया था। पुलिस ने उसके समक्ष होण्डा मोटरसाईकिल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी04 तैयार किया था। पुलिस ने घटनास्थल से उसकी मोटरसाईकिल हीरो होण्डा एस.एस. जो क्षतिग्रस्त हालत में थी, जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी.05 तैयार किया था। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल से आरोपी का मार्शल वाहन जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी.06 तैयार किया था। पुलिस ने मृतक की मृत्यु जांच में उपस्थित होने की सूचना उसे दी थी और जांच पंचायतनामा प्र.पी.07 उसके समक्ष तैयार किया था, उक्त दस्तावेजों के ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना के पश्चात आरोपी की मार्शल वाहन का नम्बर सी.जी.04/बी-8315 घटनास्थल पर वाहन को देखकर उसने बताया था। उसे बाद में पता चला था कि दुर्घटना में शामिल वाहन मार्शल सी.जी.04/बी-8315 भीमजोरी के रहनेवाले शाकिर मुसलमान की थी तथा घटना के बाद उसे ड्रायवर का नाम पता चला था, लेकिन आज याद नहीं है।

7. दीपक सहारे (अ0सा0-2) का कथन है कि घटना वर्ष 2010 में रात्रि 09:30 बजे की है। वह अपनी दुकान पर था तभी एक मार्शल गाडी बंजारीटोला रोड से आई और बिजली के खंभे से टकरा गई। फिर वह अपनी दुकान पर व्यस्त हो गया। दुकान से निकला तो काफी भीड़ इकट्ठा हो गयी थी। लोगों से सुना कि रोमप्रकाश का एक्सीडेंट हो गया है जिसे उसने उठाया था। वह घटना के समय अपनी दुकान पर व्यस्त था तथा उसे पता लगा कि वहां खड़ी मार्शल मोटरसाईकिल से और बाद में खम्बे से टकरा गयी। वह नहीं देख पाया कि रोमप्रकाश पटले किस वाहन से था तथा मार्शल वाहन कौन चला रहा था। बाद में उसे पता चला कि मार्शल वाहन भीमजोरी के रहने वाले किसी शाकिर या साबिर खान का है। उसने दुर्घटना के बाद क्षतिग्रस्त

दोनों मोटरसाईकिल को देखा था। एक मोटरसाईकिल रोड़ किनारे और दूसरी रोड़ पर पड़ी थी। जिनमें से एक मोटरसाईकिल होण्डा एस.एस. लखनलाल बिसेन की थी। लखनलाल की मोटरसाईकिल टूटीफूटी हालत में थी, जिसके कारण करीब 20-25 हजार रुपये का नुकसान हुआ होगा। दूसरी मोटरसाईकिल रोमप्रकाश पटले की हीरो होण्डा कंपनी की गाड़ी थी जिसमें लगभग 10-12 हजार रुपये का नुकसान हुआ होगा।

8. दीपक सहारे (अ0सा0-2) का कथन है कि पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल से रोमप्रकाश पटले की हीरो होण्डा मोटरसाईकिल को जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी.04 तैयार किया था तथा लखनलाल की मोटरसाईकिल हीरो होण्डा एस.एस. को जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी.05 तैयार किया था एवं पुलिस ने उसके समक्ष मार्शल को घटनास्थल से जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी.06 तैयार किया था, उक्त दस्तावेजों के बी से बी भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन हीरो होण्डा पेशन प्लस एवं लखनलाल की मोटरसाईकिल हीरोहोण्डा एस.एस. का नुकसानी पंचनामा प्र.पी.09 एवं 10 तैयार नहीं किया था लेकिन नुकसानी पंचनामा प्र.पी.09 एवं प्र.पी.10 के ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना के संबंध में पुलिस ने उससे पूछताछ की थी तथा उसे बाद में पता लगा था कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन मार्शल साकिर मुसलमान की थी जिसे ड्रायवर श्यामकुमार मरावी चला रहा था।

9. स्वतंत्र श्रीवास्तव (अ0सा0-4) का कथन है कि वह घटना के समय से रोमप्रकाश को जानता है। घटना के समय वह मलाजखण्ड चौराहे के साईड में विनोद के पान ठेले में खड़ा था। आवाज होने पर उसे दुर्घटना का पता चला था, जिसके बाद वह घटनास्थल पर गया तो एक व्यक्ति क्षतिग्रस्त हालत में देखा जिसे उसने मोटरसाईकिल से अस्पताल पहुंचाया था। बाद में पता चला था कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति का नाम रोमप्रकाश पटले था। इसके अलावा उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने बाद में सुना था कि उक्त मार्शल साकिर खान भीमजोरी वाले की थी तथा उसे एक दिन बाद पता लगा था कि रोमप्रकाश की मृत्यु हो गयी है।

10. मनीष भटनागर (अ0सा0-5) का कथन है कि घटना के समय सुबह आठ से नौ बजे के बीच वह मलाजखण्ड के एस.बी.आई. एटीएम गया हुआ था। एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था जिसे पुलिस वाले ले जा रहे थे। इसके अलावा उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना के दो-तीन दिन बाद उसे पता चला था कि उक्त घटना में आहत रोमप्रकाश पटले की मृत्यु हो गयी है।

11. सुरेश कुमार (अ0सा0-6) का कथन है कि उसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखा था। दुर्घटना की रात में उसे जानकारी लगी कि उसके भाई रोमप्रकाश पटले की फोर व्हीलर से दुर्घटना हुई थी तथा उसका भाई टू-व्हीलर पर था। जब वह मौके पर गया तो वहां पर उपस्थित लोगों ने

बताया कि एक फोर व्हीलर गाड़ी ने तेज रफ्तार से पहले रोमप्रकाश को टक्कर मारा, फिर एक और मोटरसाईकिल को टक्कर मारकर बिजली के पोल से टकरा गयी। जब वह मौके पर पहुंचा तो उसके भाई को अस्पताल ले जा चुके थे। उसने अस्पताल जाकर देखा तो उसके भाई का एक पैर फ्रैक्चर था, गर्दन की हड्डी टूटी थी और पूरा शरीर अचेत था। उसने मौके पर मोटरसाईकिल देखा जिसका नम्बर उसे याद नहीं है। मोटरसाईकिल टूटी-फूटी हालत में थी जिसका रंग लाल था। फोर-व्हीलर का रंग उसे याद नहीं है। घटना के दूसरे दिन उसके भाई की मृत्यु हो गयी थी। पुलिस ने मृत्यु नक्शा पंचायतनामा प्र.पी.3 उसके समक्ष बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

12. पवन रैखा पटले (अ0सा0-07) का कथन है कि दिनांक 09.06.10 को रात्रि 11:00 बजे उसकी ननंद ने फोन लगाकर बताया कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है, जो एच.सी.एल. अस्पताल मलाजखण्ड में भर्ती है। जिसके बाद वह मण्डला से बड़ी ननंद शकुन्तला के साथ अस्पताल में भर्ती पति को देखने गयी थी। उसके पति रोमप्रकाश पटले का इलाज चल रहा था। वह बेहोश हालत में था। उनके जांघ, पांव, गर्दन में चोटें लगी थीं तथा पैर टूट गया था। पुलिसवालों ने उसे बताया कि उसके पति रात्रि करीब दस बजे मलाजखण्ड के दीपक पान के सामने खड़े थे। जिनको मार्शल गाड़ी के ड्रायवर श्यामकुमार मरावी ने टक्कर मार दिया जिससे उन्हें चोट आयी थी। बाद में वह परिवार के साथ एक्सीडेंट स्थल पर गयी थी, जहां उसके पति की मोटरसाईकिल घटनास्थल पर टूटी हुई हालत में पड़ी थी और कुछ दूरी पर एक सफेद रंग की मार्शल गाड़ी टूटी-फूटी अवस्था में खड़ी थी। इलाज के दौरान उसके पति की मृत्यु हो गयी थी।

13. महेन्द्र टेम्भरे (अ0सा0-11) का कथन है कि मृतक रोमप्रकाश उसके जीजा थे। मार्शल वाहन से रोमप्रकाश का एक्सीडेंट हो गया था जिसकी जानकारी लगने पर वह मलाजखण्ड अस्पताल देखने के लिए गया था। रोमप्रकाश के साथ के पुलिसवाले ने उसे बताया था कि मार्शल वाहन का चालक शराब पीकर वाहन चला रहा था जिसने पान ठेले के साईड में खड़े रोमप्रकाश की दुर्घटना कारित की थी। दुर्घटना के दूसरे दिन लगभग ग्यारह बजे रोमप्रकाश की मृत्यु हो गयी थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि पुलिसवालों ने उसे मार्शल वाहन के चालक का नाम श्यामकुमार मरावी निवासी भीमजोरी बताया था। उक्त दुर्घटना में रोमप्रकाश की मोटरसाईकिल के अलावा एक अन्य की मोटरसाईकिल क्षतिग्रस्त हो गयी थी।

14. डां. विनोद कुमार (अ0सा0-09) का कथन है कि वह दिनांक 09.06.10 को ताम्र परियोजना अस्पताल मलाजखण्ड में रोमप्रकाश पटले को महेन्द्रसिंह द्वारा उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाने पर उसके द्वारा परीक्षण कर गर्दन तथा पैर पर अनियमित आकार की सूजन, बायें घुटने पर सूजन, बायें और दाहिने पैर पर अनेकों प्रकार की मामूली खरोंच पायी थी। खरोंच को छोड़कर बांकी सभी चोटें गंभीर प्रकृति की थी जो किसी बोथरी वस्तु से आना

प्रतीत होती थीं। आहत होश में था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी15 है जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

15. डां. डी. बनर्जी (अ0सा0-08) का कथन है कि दिनांक 10.06.10 को ताम्र परियोजना मलाजखण्ड अस्पताल में आरक्षक नम्बर 253 द्वारा दिनांक 09.06.2010 को भर्ती रोमप्रकाश पटले की मृत्यु हो गयी थी, जिसकी सूचना उसने पुलिस थाना मलाजखण्ड को दी गयी थी जो प्र.पी15 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आहत रोमप्रकाश पटले की एक्सरे प्लेट क्रमांक 763 एवं 764 आर्टिकल ए-1 तथा आर्टिकल ए-3 का परीक्षण करने पर उसने आहत की रीढ़ की हड्डी में गर्दन के पास पांचवी व छठवी हड्डी में डिस लोकेशन एवं फ्रैक्चर पाया था। एक्सरे प्लेट क्र 765 जो दिनांक 10.06.10 को ली गयी थी, के परीक्षण पर बायें जांघ की हड्डी में फ्रैक्चर पाया था उसकी एक्सरे रिपोर्ट प्र.पी.6 है जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

16. देवेन्द्र मेश्राम (अ0सा0-03) का कथन है कि दिनांक 10.06.2010 को मलाजखण्ड एम.सी.पी. अस्पताल में वार्डबॉय के पद पर पदस्थापना के दौरान वह तहरीर मलाजखण्ड थाना लेकर गया था। मार्ग इंटीमेशन प्र.पी.12 के अ से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। घटना के संबंध में पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह दिनांक 10.06.10 को ईलाज के दौरान समय 12:45 बजे रोमप्रकाश पटले की मृत्यु हो जाने से थाना में सूचना देने गया था। उस समय लिखित तहरीर डां0 बनर्जी द्वारा दी गयी तथा उक्त बात के संबंध में पुलिस ने उसके बयान लेखबद्ध किये थे।

17. मोहनलाल (अ0सा0-14) का कथन है कि दिनांक 10.06.10 को थाना मलाजखण्ड में प्रधान आरक्षक मोहर्रिर के पद पर पदस्थापना के दौरान ताम्र परियोजना अस्पताल मलाजखण्ड से वार्डबॉय के द्वारा प्र.पी.05 की डाक्टरी तहरीर मृतक रोमप्रकाश की मृत्यु बाबत पेश करने पर उसके द्वारा मार्ग इंटीमेशन क्रमांक 21/10 धारा 174 दं.प्र.सं. लेख किया था जो प्र.पी12 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

18. खेमेन्द्र जैतवार (अ0सा0-10) का कथन है कि मृतक रोमप्रकाश उसका रिश्तेदार था जिसकी मृत्यु कार दुर्घटना के पश्चात हो गयी थी। पुलिस ने उसके समक्ष मृतक रोमप्रकाश की मृत्यु के संबंध में कार्यवाही की थी जिसके नक्शा पंचायतनामा प्र.पी03 के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दुर्घटना में मारने वाले वाहन का नम्बर उसे ध्यान नहीं है। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि नक्शा पंचायतनामा में दुर्घटना का विवरण लेख किया जाता है तथा उक्त नक्शा पंचायतनामा में मार्शल क्रमांक सी.जी. 04/बी-8315 के चालक द्वारा रोमप्रकाश पटले को ठोस मारने की बात का उल्लेख है।

19. विनोद ठाकरे (अ0सा0-16) का कथन है कि वह मृतक रोमप्रकाश का रिश्तेदार है, जिसकी मृत्यु मार्शल वाहन दुर्घटना से हुई थी। पुलिस ने उसके समक्ष रोमप्रकाश की मृत्यु संबंधी कार्यवाही की थी जिसके नक्शा

पंचायतनामा प्र.पी03 के डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दुर्घटना मार्शल जीप से हुई थी जिसका नम्बर उसे ध्यान नहीं है।

20. अजयसिंह बैस (अ0सा0-15) का कथन है कि दिनांक 10.06.10 को थाना मलाजखण्ड के मुंशी जी ने उसकी ड्यूटी पोस्ट मार्टम कराने के लिए लगायी थी तथा वह सहायक उपनिरीक्षक बी.सी.झारिया साहब के साथ एम.सी. पी. अस्पताल गया था जहां पर साहब ने लिखा पढ़ी करके मृतक आरक्षक रोमप्रकाश नम्बर 253 का शव पोस्ट मार्टम हेतु पोस्ट मार्टम फार्म भरकर दिया था। जिसके बाद रोमप्रकाश के परिजनों के साथ शासकीय अस्पताल मोहगांव जाकर पोस्ट मार्टम करवाया था। पोस्ट मार्टम के बाद शव को परिजनों को सुपुर्दनामा पर कफन-दफन हेतु दिया था।

21. डा. एल.एन.एस.उड़के (अ0सा0-13) का कथन है कि दिनांक 10.06.10 को बिरसा में खण्ड चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थापना के दौरान पुलिस कास्टेबल रोमप्रकाश क्रमांक 253 थाना मलाजखण्ड के शव को परीक्षण हेतु आरक्षक अजयकुमार 212 के द्वारा पेश किये जाने पर उसने शव का परीक्षण कर कनपटी के अगले भाग में गंभीर किस्म की चोट, गले के पिछले भाग में कंटीयूजन व सूजन पाया था। साक्षी के मतानुसार मृत्यु का कारण अत्यधिक गंभीर जानलेवा चोट के परिणाम स्वरूप अत्यधिक रक्त स्राव होने से शॉक लगना था एवं मृत्यु परीक्षण के छः से बारह घण्टे के भीतर होना पाया था। उसकी शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.19 है जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

22. अलीम जिलानी (अ0सा0-18) का कथन है कि उसने थाना मलाजखण्ड के मामले में जप्तशुदा मार्शल क्रमांक सी.जी.04/बी-8315 का मैकेनिकल परीक्षण करने पर वाहन के गियर, ब्रेक, एक्सीलेटर, टायर सही हालत में पाया था, ड्रायवर साईड का मडगाड मुड़ गया था। बायें साईड का मडगार्ड व लोहे का बंपर तिरछा हो गया था तथा सामने का कांच तिरछा हो गया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.20 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

23. साक्षी मुन्नालाल जितेश्वर (अ0सा0-17) पक्षद्रोही रहा है। जिसने घटना की कोई जानकारी न होना व्यक्त कर उसके समक्ष नुकसानी पंचनामा नहीं बनाना व्यक्त किया परंतु नुकसानी पंचनामा प्र.पी.09 एवं 10 के सी से सी भागों पर हस्ताक्षर स्वीकार किया है।

24. भागचंद झारिया (अ0सा0-12) का कथन है कि दिनांक 09.06.2010 को थाना मलाजखण्ड में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थापना के दौरान लखनलाल बिसेन की मौखिक रिपोर्ट पर उसके द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक 44/10 धारा 279, 337, 427 भा.दं.सं. के तहत मार्शल गाडी क्रमांक सी.जी.04/बी.8315 के चालक के विरुद्ध लेख की थी। आहत रोमप्रकाश को ईलाज हेतु मलाजखण्ड ताम्र परियोजना अस्पताल में भर्ती किया गया था जिसकी तहरीर प्र.पी.16 प्राप्त होने पर रोजनामचा सान्हा क्रमांक 310 दिनांक 09.06.10 में आमद ली गयी। जिसका रोजनामचा सान्हा चालान के

साथ संलग्न है। आहत रोमप्रकाश की मृत्यु हो जाने की तहरीर प्र.पी05 प्राप्त हुई थी जिस पर मर्ग इंटीमेशन रिपोर्ट प्र.पी.12 लेख किया था। मृतक रोमप्रकाश पटले के शव को पोस्ट मार्टम हेतु शासकीय अस्पताल मोहगांव भेजा गया था। दिनांक 10.06.2010 को उसके द्वारा प्रार्थी की निशांदेही पर घटनास्थल का नजरीनक्शा प्र.पी.02 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही घटनास्थल से साक्षियों के समक्ष जप्ती पत्रक प्र.पी.04 के अनुसार क्षतिग्रस्त मोटरसाईकिल एवं जप्ती पत्रक प्र.पी.05 के अनुसार क्षतिग्रस्त मोटरसाईकिल क्रमांक सी.जी.04/जेड.के.-2269 तथा जप्ती पत्रक प्र. पी.06 के अनुसार मार्शल गाडी क्रमांक सी.जी.04/बी-8315 क्षतिग्रस्त हालत में जप्त किया था जिनके सी से सी भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं।

25. भागचंद झारिया (अ0सा0-12) का कथन है कि उसने दिनांक 10.06.10 को प्रार्थी लखनलाल, दीपककुमार एवं दिनांक 13.06.10 को अरविंद, मनीष तथा दिनांक 16.06.10 को स्वतंत्र श्रीवास्तव एवं दिनांक 25.06.10 को देवेन्द्र एवं दिनांक 07.07.10 सुरेश कुमार एवं दिनांक 27.06.10 पवनरेखा, महेन्द्र के कथन उनके बताये अनुसार लेख किये थे। दिनांक 10.06.10 को साक्षियों के समक्ष उसके द्वारा जप्तशुदा मोटरसाईकिल का नुकसानी पंचनामा प्र.पी.9 एवं 10 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। मृतक रोमप्रकाश पटले की मृत्यु बाबत पंचनामा की कार्यवाही उसके द्वारा की गयी थी जो प्र. पी.07 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रधान आरक्षक लक्ष्मीप्रसाद पटले के द्वारा दिनांक 22.06.10 को श्यामकुमार से मार्शल क्रमांक सी.जी.04/बी-8315 के दस्तावेज प्र.पी.17 के अनुसार जप्त किये थे जिसके ए से ए भाग पर लक्ष्मीप्रसाद पटले के हस्ताक्षर हैं, जिनसे साथ कार्य करने के कारण वह परिचित है। जप्तशुदा वाहन मार्शल का परीक्षण अलीम जिलानी से कराकर परीक्षण रिपोर्ट चालान के साथ संलग्न की थी। दिनांक 22.06.10 को आरोपी श्यामकुमार को साक्षियों के समक्ष प्रधान आरक्षक लक्ष्मीप्रसाद पटले के द्वारा गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.18 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर लक्ष्मीप्रसाद पटले के हस्ताक्षर हैं। जप्तशुदा मोटरसाईकिल हिफाजतनामा पर दिया था जिसका हिफाजतनामा चालान के साथ संलग्न है।

26. उपरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना दिनांक को दुध टिना में रोमप्रकाश पटले की मृत्यु हुई थी। परंतु क्या उक्त दुर्घटना आरोपी के वाहन से हुई थी। उक्त संबंध में प्रकरण में साक्ष्य का अभाव है। यद्यपि अभियुक्त के अधिवक्ता ने आरोपी द्वारा वाहन नहीं चलाने के कथन किये हैं। तथापि प्रकरण में कथित मार्शल वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के संबंध में अखण्डनीय साक्ष्य है। प्रकरण में अभियुक्त के वाहन चालन के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य है जिन पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है। स्वयं अभियुक्त द्वारा भी प्रकरण में ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है कि घटना के समय वह अन्यत्र था। जिससे यह सिद्ध होता है कि घटना के समय कथित मार्शल वाहन का चालन अभियुक्त द्वारा जा रहा था। घटना का एक ही प्रत्यक्षदर्शी

साक्षी है क्योंकि अन्य सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने घटना नहीं देखने के कथन किये हैं। उक्त साक्षी परिवादी लखनलाल अ.सा.01 ने अपने मुख्य परीक्षण में ही रोमप्रकाश पटले के स्वतः बिजली पोल से टकराने तथा मार्शल के उन्हें बचाने के लिए मोटरसाईकिल से टकराकर बिजली पोल को टक्कर मारने के कथन किये हैं। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि मृतक पहले पोल से टकराकर बीच रोड़ में गिर गया था जिसे बचाते हुए मार्शल गाड़ी पोल से टकरा गयी। मार्शल गाड़ी से मृतक को टक्कर नहीं हुई थी अपितु मृतक को पोल से टक्कर लगी थी। जिसके कारण मृत्यु हुई थी। मार्शल गाड़ी धीमी गति से आ रही थी जिसकी कोई गलती नहीं थी। घटनास्थल दीपक पान दुकान के संचालक दीपक सहारे अ.सा.02 ने अपने मुख्य परीक्षण और प्रतिपरीक्षण दोनों में ही घटना नहीं देखने के कथन किये हैं।

27. किसी को बचाने के प्रयास में वाहन को मोड़कर अन्य की दुर्घटना करने की परिस्थिति में धारा 304ए भा.दं0सं0 का अपराध स्थापित नहीं होता। उक्त संबंध में न्याय दृष्टांत रमेशचंद बनाम स्टेट 1984 एम.पी.डब्ल्यू.एन. 465 अवलोकनीय है। वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त का अपने वाहन से मृतक को टक्कर मारना ही प्रमाणित नहीं है। क्योंकि घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी लखनलाल अ0सा01 ने ही मृतक के स्वयं बिजली के खम्बे से टकराने के कथन किये हैं। मृतक की मेडिकल रिपोर्ट से भी वाहन द्वारा चोट के तथ्यों का निष्कर्ष नहीं निकलता। अभियोजन के द्वारा इस संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है कि आरोपी द्वारा अपने वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मृतक रोमप्रकाश पटले की मृत्यु कारित की गयी है।

28. जहां तक भा.दं0सं0 की धारा 427 के अपराध का संबंध है उस हेतु दोषपूर्ण ज्ञान महत्वपूर्ण तत्व है। स्वयं परिवादी लखनलाल अ0सा01 ने मार्शल चालक के रोमप्रकाश पटले को बचाने के लिए उसकी मोटसाईकिल व बिजली पोल से टकराने के कथन किये हैं। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को उक्त धारा के अधीन दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता क्योंकि हानि कारित करने की अपराधिक मनः स्थिति का अभाव है।

29. अतः अभियुक्त श्यामकुमार पिता मेहतू मरावी को भा.दं0सं0 की धारा 304ए, 427 के तहत दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

30. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

31. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन मोटरसाईकिल हीरो होण्डा पेशन प्लस तथा हीरो होण्डा सी.डी.100एस.एस. क्रमांक सी.जी.04/जेड.के.

—2269 एंव मार्शल क्रमांक सी.जी.04/बी-8315 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

32. आरोपी विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा है, इस संबंध में धारा 428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)